बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0–7 / 21–05–01–2024 / ..88..   पटना, दिनांक– 8-8-24

बिहार पुलिस अधिनियम की धारा–10 में वर्णित प्रावधान के आलोक में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा सेवानिवृति की निकटता के आधार पर स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उप–महानिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा पर विचारण हेतु दिनांक–31.07.2024 को समिति की बैठक आहूत की गई।

स्थानान्तरण समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित लिपिकीय सेवा का सेवानिवृति की निकटता के आधार पर स्थानान्तरण / पदस्थापन उनके नाम के सामने स्तम्भ–8 में अंकित जिला में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :–

क्र0	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं	स्थानान्तरित जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रधान लिपिक	सुरेश कुमार सिंह	सारण छपरा	03.06.65	शिवहर	सारण (छपरा)	सारण (छपरा)	

02. उक्त स्थानान्तरण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समर्पित विकल्प / अभ्यावेदन / अनुशंसा के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित कर्मी को विरमित करने से पूर्व उक्त कर्मी के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पाई जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

03. जिन कर्मियों की सेवावधि 01 वर्ष 06 माह (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 434 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में 01 वर्ष के अंदर सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों / कर्मियों को स्वैच्छिक स्थान पर पदस्थापन / स्थानान्तरण से संबंधित मामले हेतु) एवं 02 वर्ष 06 माह (पुलिस हस्तक नियम 778(iii) के अनुरूप 02 वर्ष या उससे कम की सेवानिवृति की अवधि वाले पदाधिकारियों / कर्मियों को गृह जिला में पदस्थापन / स्थानान्तरण से संबंधित मामले हेतु) शेष है, उन कर्मियों का स्थानान्तरण संबंधी मामला पर विचारण किया गया है। अवधि के बाहर वाले आदेश तब प्रभावी होगा, जब वे कंडिका–09 में निर्धारित तिथि को विचारण की परिधि में आयेंगे।

04. संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक को रिक्तियों के संबंध में कोई कठिनाई हो तो वे तत्संबंधी मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को अवगत करायेंगे।

05. जिन कर्मियों की सेवाकाल मात्र 06 माह या उससे कम रह गया है, उन मामलों में यदि उक्त पदाधिकारी यथावत बने रहने संबंधी अभ्यावेदन देते हैं, तो संबंधित पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक उनके स्थानान्तरण / पदस्थापन संबंधी मामले को क्रियान्वित नहीं करेंगे।

06. जिन कर्मियों के द्वारा सेवानिवृति निकटता के आधार पर सिर्फ इकाई में पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया गया था, उनके द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया है। सिर्फ ऐच्छिक / गृह जिला के आवेदनों पर विचार किया गया है।

07. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, अतः यात्रा / स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

08. उन सभी अभ्यावेदनों को जो उचित माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें संबंधित पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक को वापस किया जा रहा है। संबंधित पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक स्पष्ट अनुशंसा के साथ तत्संबंधी प्रस्ताव बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

09. इस आदेश पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

8/8/24

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना

Rahul

ज्ञापांक– पी0–7/21–05–01–2024/ 88 पटना, दिनांक– 8-8-24

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0 मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

8/8/24

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना

Rahul